राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः– न्याय/टैक्स सैल/2026/ दिनांक 01.04.2026

कार्यालय आदेश

आदेशानुसार दिनांक 06 अप्रेल 2026 (सोमवार) से टैक्स बैंच (राजस्थान कर बोर्ड) में लंबित प्रकरणों की निरंतर सुनवाई राजस्व मण्डल मुख्यालय पर की जायेगी। जिसके तहत प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चर्तुथ सप्ताह के सोमवार एवं मगंलवार को खण्डपीठ तथा इन्ही सप्ताह के प्रत्येक दिवस को एकलपीठ का गठन किया जाएगा। माह के प्रथम, तृतीय एवं पंचम सप्ताह में जयपुर सर्किट कैम्प में सोमवार एवं मगंलवार को खण्डपीठ तथा शुक्रवार को एकलपीठ का आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से गठन किया जाएगा।

जयपुर कैम्प से संबंधित खण्डपीठ एवं एकलपीठ की पत्रावलियां राजस्व मण्डल के योजना भवन जयपुर कार्यालय में ही संधारित की जायेगी।

ह०/–
अतिरिक्त निबंधक (न्याय)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : 1316–1323 दिनांक 01.04.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय।
2. समस्त निजी सहायक, माननीय सदस्य महोदय।
3. निबंधक महोदय, राजस्व मण्डल।
4. कॉजलिस्ट प्रभारी को प्रेषित कर लेख है कि तीन दिवस पूर्व कॉजलिस्ट जारी करावें।
5. कार्यालय नोटिस बोर्ड, अजमेर/जयपुर।
6. कम्प्यूटर शाखा को वेबसाइट पर अपडेशन हेतु।
7. श्री लालचंद देवजानी, प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी टैक्स सेल) को प्रेषित कर लेख है कि वे तारीख तब्दीली हेतु लंबित प्रकरणों को उक्तानुसार माननीय पीठ के समक्ष नियत करें।

अतिरिक्त निबंधक (न्याय)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर